संख्या:643/2023/1550/35-4-2023/001-35-4099/446/2021

प्रेषक,

डॉ0 संजीव भारद्वाज,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
हरदोई।

नियोजन अनुभाग-4 दिनांक: 29 मई,2023

विषय: वित्तीय वर्ष 2023-24 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के क्रम में जनपद हरदोई में राजकीय पॉलीटेक्निक, भड़ायल, सदर, गोपामऊ, हरदोई के भवन निर्माण कार्य की त्वरित आर्थिक विकास योजना से शासनादेश संख्या-19/2020/2058/35-4-2020, दिनांक 07 फरवरी, 2020 द्वारा रू0 1792.68 लाख (जिसमें अधिष्ठान व्यय एवं 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि सम्मिलित है तथा जी0एस0टी0 नियमानुसार देय होगी) की लागत पर प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति निर्गत करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू0 200.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी। तत्पश्चात शासनादेश दिनांक 20 जनवरी, 2021 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू0 268.90 लाख, शासनादेश दिनांक 23 मार्च, 2021 द्वारा तृतीय किश्त के रूप में रू0 268.90 लाख तथा शासनादेश दिनांक 18 अगस्त, 2021 द्वारा चतुर्थ किश्त के रूप में रू0 965.25 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई। जिलाधिकारी द्वारा प्रश्नगत कार्य में मिट्टी भराई की लागत को सम्मिलित करते हुए पुनरीक्षित ऑगणन प्रेषित किया गया। तत्क्रम में शासनादेश दिनांक 25 फरवरी, 2022 द्वारा प्रश्नगत कार्य की मूल अनुमोदित लागत रू0 1792.68 लाख में मिट्टी भराई की अनुमोदित लागत रू0 74.46 लाख को सम्मिलित करते हुए कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति को रू0 1867.14 लाख की लागत पर पुनरीक्षित किये जाने की स्वीकृति निर्गत की गई। प्रश्नगत कार्य हेतु अनुमोदित लागत के सापेक्ष अब तक कुल रू0 1703.05 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। जिलाधिकारी द्वारा पत्र संख्या-1409/त्वरित विकास/2022-23 दिनांक 27 मार्च, 2023 द्वारा प्रश्नगत कार्य हेतु उक्त शासनादेशों द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि रू0 1703.05 लाख का पूर्ण उपभोग किया जाना इंगित किया गया है। एतदद्वारा उपर्युक्त शासनादेशों द्वारा पूर्व में अवमुक्त धनराशि रू0 1703.05 लाख को समायोजित करते हुए पंचम किश्त के रूप में अनुमन्य धनराशि रू. 74.69 लाख (रूपये चौहत्तर लाख उनहत्तर हजार मात्र) को निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की, श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(लाख रू. में)

कार्य का नाम	**अनुमोदित लागत**	**पूर्व मे अवमुक्त धनराशि**	**अवमुक्त धनराशि**
राजकीय पालीटेक्निक, भड़ायल, सदर, गोपामऊ, हरदोई का भवन निर्माण कार्य	1867.14	1703.05	74.69

1- सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 07 फरवरी, 2020, 20 जनवरी, 2021, 23 मार्च, 2021, दिनांक 18 अगस्त, 2021 एवं दिनांक 25 फरवरी, 2022 की शर्ते यथावत लागू रहेंगी।

2- प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।

3- परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- कार्यो को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।

5- स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चित किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त/अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2024 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2024 तक नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

6- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2024 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

7- वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक-17 मार्च, 2023 में उल्लिखित शर्तो एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये रू. 74,69,000 (रूपये चौहत्तर लाख उनहत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 040 लेखाशीर्षक 4202021040302 राजकीय पॉलीटेक्निक भवन निर्माण के चालू कार्य मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक-17 मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(डा0 संजीव भारद्वाज)
संयुक्त सचिव।

संख्या:643/2023/1550(1)/35-4-2023/001-35-4099/446/2021 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण/प्राविधिक शिक्षा विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी ।
7- मण्डलायुक्त, लखनऊ मण्डल।
8- निदेशक प्राविधिक शिक्षा विभाग, कानपुर।
9- निदेशक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, नीलगिरि काम्पलेक्स, लखनऊ।
10-मुख्य विकास अधिकारी, हरदोई।
11-मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरदोई।
12-वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, हरदोई।
14- अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, हरदोई ।
15- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 संजीव भारद्वाज)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in